

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 130]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 मार्च 2026 — फाल्गुन 25, शक 1947

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च, 2026

अधिसूचना

क्रमांक 5377/चेकर तीन -10-8/2000 (IX).— भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, की धारा 8 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद् द्वारा रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक-4624/चेकर/तीन-10-8/2000 (IX) दिनांक 07-03-2025 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के अनुक्रमांक 18 तथा उससे संबंधित स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जावे, अर्थात :-

अनुक्रमांक	सत्र न्यायालय	बैठने का स्थान/ स्थानों
(1)	(2)	(3)
18	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा 4. खरसिया

Bilaspur, the 16th March 2026

No.5377/Checker III-10-8/2000 (IX) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 8 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the High Court of Chhattisgarh hereby amends its notification No. 4624/Checker/III-10-8/2000 (IX) dated 07-03-2025 as under, namely:-

AMENDMENT

In the said notification in the table of serial No. 18 and further existing entries relating thereto as shown in column No. (3) the following entries be substituted, namely:-

Serial No.	Court of Sessions	Ordinary Place/ Places of Sitting
(1)	(2)	(3)
18	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora 4. Kharsiya

By order of the High Court

Sd/-

(Rajnish Shrivastava)

Registrar General.